पाँच पीढ़ियों की बसावट के बावजूद मुसहरों को घर मयस्सर नहीं

दोना-पत्तल बना कर गुज़र-बसर करने वाले सत्तर वर्षीय फूलचंद्र वनवासी

मुसहर कॉलोनी के लिए आबंटित ज़मीन

पाँच साल की उम्र से ही दोना-पत्तल बनाना सीख लेती हैं लड़कियाँ

सुअर-साहूकारी

हाशिये के भीतर हाशिया : उपेक्षा और बहिष्करण

मुसहर व पासी समुदाय का तुलनात्मक अध्ययन

संजू सरोज

'वे हमेशा पत्तल चाटेंगे। उन्हें अभी तक अमानवीय बना कर रखा गया है।'[1] पूर्वी उत्तर प्रदेश के मुसहरों के बारे में विलियम क्रुक ने यह बात 1896 में कही थी। तब से अब तक एक पूरी शताब्दी डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जैसी शख़्सियत से प्रभावित हो चुकी है, और भारत एक संविधान भी अपना चुका है जो सबको बराबरी का हक़ देता है। इक्कीसवीं शताब्दी के इस दौर में दलित राजनीति एक लम्बा रास्ता तय कर चुकी है : के.आर. नारायणन भारत के राष्ट्रपति एवं मायावती उत्तर प्रदेश की चार बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। ऐसी स्थिति में मुसहर जैसे दलित समुदाय पर लेख लिखने का क्या औचित्य हो सकता है? दरअसल, इसका औचित्य लोकतंत्र और न्याय के विचार की स्थापना से है। जब तक भारत में एक लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण समाज स्थापित नहीं हो जाता है तब तक समाज में असमानता के कारणों की खोज की ज़रूरत क़ायम रहेगी। इस सिलसिले में हमें उन सामाजिक संरचनाओं को समझना होगा जो असमानता को

[1] विलियम क्रुक, के. सुरेश सिंह (2005) में उद्धृत.

नैतिक आधार उपलब्ध कराती हैं। इस क्रम में उन प्रक्रियाओं को भी रेखांकित करना होगा जिनके कारण कुछ समुदाय अन्य समुदायों की अपेक्षा ज़्यादा दुर्बल और बहिष्कृत हो जाते हैं।

अध्ययन : सैम्पल, पद्धति और क्षेत्र

इस शोध के ज़रिये मैं उन कारणों की पड़ताल करना चाहती हूँ जिनके चलते अनुसूचित जातियों में शुमार किये जाने वाले विभिन्न समुदायों को आरक्षण एवं सरकारी योजनाओं का एकसमान लाभ नहीं मिल पाता। उनके बीच विषमता की यह खाई इस क़दर बढ़ती जा रही है कि अनुसूचित जातियों में प्रभावशाली एवं वंचित समुदायों जैसा एक विभेद पैदा हो गया है। मैं उन कारकों को चिह्नित करना चाहती हूँ जो मुसहरों को एक सीमांत अस्तित्व पर ला कर छोड़ देते हैं जिससे उनका जीवन, सम्मान और सबसे बढ़ कर उनका प्रतिनिधित्व ही संकट में पड़ जाता है। मेरा अध्ययन-क्षेत्र इलाहाबाद जनपद है।

इलाहाबाद ज़िले में कुल आठ तहसीलें हैं : सदर, करछना, फूलपुर, बारा, कोराँव, मेजा, सोराँव और हण्डिया। इनमें बीस विकास खण्ड हैं।[2] इलाहाबाद की आबादी में 1,309,851 लोग अनुसूचित जाति के हैं, जिसमें 1,108,075 ग्रामीण हैं। इसमें मुसहरों की संख्या 16,820 हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 16,174 एवं शहरी क्षेत्र में मात्र 646 मुसहर रहते हैं। यानी इलाहाबाद ज़िले की कुल अनुसूचित जातियों में मुसहरों की संख्या केवल 1.28 प्रतिशत ही हैं।[3] चूँकि मुसहर समुदाय की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग गाँवों में रहता है इसलिए शोध-कार्य के लिए ग्रामीण क्षेत्र का चुनाव किया गया है। सर्वेक्षण के अनुसार इलाहाबाद में मुसहर मुख्यत: मेजा, फूलपुर, हण्डिया, प्रतापपुर, और बहादुरपुर में बसे हुए हैं। अक्टूबर, 2015 से दिसम्बर, 2017 के बीच क्षेत्र-अध्ययन के लिए मैंने बहादुरपुर ब्लॉक का चयन किया। इस ब्लॉक में कुल 109 पंचायतें हैं, जिनके तहत 152 गाँव आते हैं।[4] अध्ययन की शुरुआत करने से पहले मैंने बहादुरपुर ब्लॉक के कुछ गाँवों में पायलट फ़ील्ड-वर्क किया ताकि मुसहर समुदाय के बारे में स्थायी जानकारी मिल सके। उसके बाद मैंने स्नोबाल सैम्पलिंग या प्रतिचयन का सहारा लिया जिसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मुसहर समुदाय का स्थायी पता व जनसंख्यात्मक आँकड़ा ब्लॉक स्तर व गाँव स्तर पर उपलब्ध नहीं था, जिससे शोधार्थी को इस प्रतिचयन की आवश्यकता पड़ी। इसके ज़रिये मुझे यह जानकारी मिली कि 152 गाँवों के समूह में मुसहर केवल 30 गाँवों में ही स्थायी व आवासहीन रूप से बसे हुए हैं। 26 गाँवों में मुसहर स्थायी रूप से और 6 गाँवों में अस्थायी ढंग से रहते हैं। कुल मिलाकर मैंने बहादुरपुर ब्लॉक के विभिन्न गाँवों में मुसहर समुदाय के 200 परिवारों का जनसंख्यात्मक आँकड़ा हासिल किया। यह संख्या लगभग 1,000 बैठती है।[5] इसके बाद मैंने शोध-अध्ययन के उद्देश्य का ध्यान रखते हुए सरकार द्वारा संचालित सरकारी योजनाओं, सामुदायिक नेतृत्व के विकास, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सरकारी नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में आरक्षण आदि जैसी सुविधाओं से लाभान्वित होने वाले पासी जैसे अनुसूचित समुदाय का चयन किया।[6] अनुसूचित जाति में पासी समुदाय एक प्रभावशाली व संख्यात्मक रूप से ताक़तवर समुदाय माना जाता है। इलाहाबाद शहर में पासी समुदाय की आबादी 36 प्रतिशत है जो कि अनुसूचित जातियों के कुल संख्या-बल में पहले स्थान पर है। उसके बाद दूसरे नम्बर पर चमार जाति आती है जिसका संख्या 33 प्रतिशत है।[7] पासी समुदाय को चुनने का एक मुख्य कारण यह भी था कि मुसहर

---

[2] ब्रांडभारत. कॉम पर 20/05/2017 को देखा गया.

[3] http://www.censusindia.gov.in/2011census/SC-ST/pca_state_distt_sc.xls 20/05/2017 को देखा गया.

[4] ब्रांडभारत. कॉम पर 20/05/2017 को देखा गया.

[5] स्रोत : फ़ील्ड सर्वेक्षण.

[6] बद्री नारायण (2013).

[7] http://www.censusindia.gov.in/2011census/SC-ST/pca_state_distt_sc.xls 20/05/2017 को देखा गया.

व पासी समुदाय प्राय: एक ही जगह बसे हुए थे। दोनों की परिस्थितियाँ समान थी, परंतु सामाजिक परिस्थितियों के लिहाज़ से दोनों में व्यापक भिन्नताएँ थीं।

प्रतिचयन पैमाना : प्राथमिक आँकड़ों का संग्रह व तकनीक-चयन

बहादुरपुर ब्लॉक में से 4:1 के अनुपात में गाँव का चयन करने के लिए मैंने चार ऐसे गाँवों को लिया जिसमें मुसहर स्थायी रूप से रहते थे, और एक ऐसे गाँव का चयन किया जहाँ मुसहर आवासहीन थे, यानी उनका एक हिस्सा बगीचे में प्लास्टिक की तिरपाल और मड़ई में तक़रीबन बीस वर्षों से रह रहा था। इसके बाद मैंने मुसहर व पासी समुदाय के बीच चार चरों (वेरिएबल)— शिक्षा तक पहुँच, आरक्षण के स्तर, पंचायती राज प्रणाली में भागीदारी और सरकारी सेवाओं में भागीदारी व सामुदायिक स्तर पर संचालित योजना के संदर्भ उनकी स्थिति को कसौटी बना कर दोनों समुदायों का तुलनात्मक अध्ययन किया। इसके तहत मैंने इन गाँवों में से 100 मुसहर व 100 पासी परिवारों का चयन किया।

यह अध्ययन मुख्य रूप से प्राथमिक आँकड़ों पर आधारित है। इससे पहले के अध्ययनों में अनुसूचित जातियों की सरकारी सेवाओं में आरक्षण के लाभ व उनकी राजनीतिक भागीदारी के संबंध पर तो बात की गयी है, परंतु उनमें यह पहलू छूट गया था कि कौन-सी जाति आरक्षण का लाभ ले पा रही है। इस संबंध में मैंने परिमाणात्मक एवं गुणात्मक प्रविधियों के आधार पर आँकड़े जमा किये। अनुसंधान की गहनता के लिए मैंने अनुसूची के ज़रिये खुली और बंद प्रश्नावली के साथ, सहभागी अवलोकन, गहन साक्षात्कार की व्याख्या, समूह चर्चा व मुसहर तथा पासी समुदाय के आख्यानों के विश्लेषण का शोध-उपकरण के रूप में प्रयोग किया। यह आलेख तीन भागों में विभाजित है। पहले भाग में बहादुरपुर ब्लॉक में मुसहर समुदाय के कुछ गाँवों में उनके रोज़मर्रा के जीवन-अनुभव व उनकी समस्याओं पर निगाह डाली गयी है। चाहे वह भूख की समस्या हो या फिर स्वास्थ्य संबधी समस्या। इस भाग से यह बात उजागर होती है कि जनसंख्यात्मक रूप से छोटे समुदाय राज्य और लोकतांत्रिक राजनीति को अपने जीवन में कैसे देखते व समझते हैं। दूसरे भाग में आँकड़ों के आधार पर मुसहर व पासी समुदाय की आवास, रोज़गार, शिक्षा व पंचायती राज संस्थाओं में उनकी पहुँच का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है। लेख का निष्कर्ष आख़िरी भाग में है।

I

एक समुदाय के रूप में मुसहर

साझें तोरे पतवा, सवेरे तोरे पतवा
संघे बनयी पतरी
उही ढिकुनी के तरवा मड़िया हमरी
हमरी ढिकुनी की छैया राजा, छहाई ले तना
हे राजा छैय्या ले।[8]

मुसहर समुदाय के बीच प्रचलित यह गीत मुझे इलाहाबाद जनपद के बहादुरपुर ब्लॉक के अमरसापुर गाँव की सत्तर वर्षीय मुसहर महिला ने सुनाया। इस गीत में बताया गया है कि ढाक का पेड़ उनके लिए जीविकोपार्जन का ज़रिया है। सुबह-शाम वे पेड़ से पत्ता तोड़ कर उससे दोना-पत्तल बनाते हैं। उसी ढिकुनी या ढाक के नीचे उनकी झोपड़ी है। और राह चलते लोगों से इसरार करते हुए

[8] अमरसापुर गाँव की 70 वर्ष की महिला ननकी ने यह गीत सुनाया था. ननकी ढाक के पत्तों से दोना-पत्तल बनाकर गुज़ारा करती हैं.

वह महिला कहती है कि हे बटोही, ढाक के पेड़ की छाया के नीचे आकर कुछ देर सुस्ता लो। यह गीत बताता है कि ढाक वृक्ष मुसहरों के लिए उपयोगी होने के साथ-साथ मुसहर समुदाय की सामाजिक-आर्थिक पारिस्थितिकी से भी जुड़ा है।

मुसहर उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। यह अध्ययन उत्तर प्रदेश तक सीमित है। 1971 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में उनकी संख्या 1,04,725 थी। उनका प्रमुख पेशा शहद निकालना और और पत्तल बनाना है। वे पालकी ढोने का काम भी करते हैं। इधर हाल के दशकों में उन्होंने ईंट-भट्ठों पर काम करना शुरू किया है। मुसहर मुख्यत: मांसाहारी समुदाय हैं। वे मुर्गा, कछुआ, सुअर, चूहा, गिलहरी, साही, खरगोश आदि का मांस खाते हैं। आज से दो या तीन दशक पहले तक मांस की प्रचुरता थी। गाँवों के आसपास जंगल थे। जंगल में उन्हें अपने खाने के लिए मांस मिल जाता था। अब वे मुर्गे का मांस नियमित रूप से नहीं ख़रीद पाते हैं और कभी-कभार बाजार से उसके पंख सहित अन्य अवशिष्ट मांस ख़रीद लाते हैं।

यह जाति स्वयं को ऋषिदेव सदा सदाय मांझी से अभिहित करती है। खेतों में मज़दूरी करना और चूहों के बिलों में आग लगाकर उसके धुएँ से बिलों में सुरक्षित धान को निकालना इनका जीविका-कर्म है। वे चूहे भी खाते हैं एवं 'दीना-भद्री' लोकदेवता को सुअरों की बलि देते हैं। इनके बच्चे दिन भर फटे-पुराने कपड़े पहने रहते हैं। बच्चों को नग्न अवस्था में धूप और शीत में खेलते हुए देखा जा सकता है। मैंने कुल 27 गाँवों में एक पायलट फ़ील्ड-वर्क किया था जिनमें एक गाँव में बच्चे चूहे पकड़ते हुए दिखाई दिये। इनके घरों में चूल्हे भी विभिन्न आकारों के दिखे— जैसे, मिट्टी के चूल्हे, ईंटों को जोड़ कर बना चूल्हा, गड्ढा बना कर उसमें बनाया गया चूल्हा इत्यादि। सामान्य तौर से मुसहर परिवार दो ईंटों को जोड़ कर भी उस पर खाना बना लेते हैं। मुसहर समुदाय की परम्परा के मुताबिक़ उनके पूर्वज अपनी आनी वाली पीढ़ी व बच्चों के जीवन-यापन के लिए ऐसे वृक्षों का रोपण करते थे जिनके पत्तों से दोना-पत्तल बन सकें जैसे, बरगद, महुआ, ढाक इत्यादि।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न ज़िलों के गाँवों में इनकी घनी आबादी पाई जाती है। उन्हें बनारस, चंदौली, भदोही, गाजीपुर, आज़मगढ़, बलिया, मऊ, जौनपुर और इलाहाबाद में मुख्य बस्ती से दूर आसानी से देखा जा सकता है। आखेटप्रिय एवं पशुभक्षी जातियों में मुसहर कई दृष्टियों से सुभेद्य हैं। इलाहाबाद में मैंने देखा है कि इस जाति में अपने विकास के लिए कोई व्यग्रता नहीं दिखती। ऐसा लगता है कि वे अपने आप में संतुष्ट हैं। इस भाव को ऊपरी तौर पर देख कर दूसरे समुदायों के पढ़े-लिखे लोग कहते हैं कि इन मुसहरों का कुछ नहीं हो सकता है। वे तो ग़रीबी के दलदल से निकलना ही नहीं चाहते। लेकिन यदि आप इस समस्या की तह में जाएँ तो ऐसा नहीं है। विकास के लिए किसी व्यग्रता के न होने के मुद्दे पर समाज-विज्ञानियों का कहना है कि सामाजिक व्यवस्था द्वारा आरोपित सांस्कृतिक प्रतिमानों और ऐतिहासिक निर्योग्यताओं से निर्मित बाधाओं से निकल कर ही कोई समुदाय आगे बढ़ने की हसरत पाल सकता है।[9] मुसहर अभी वह क्षमता हासिल नहीं कर पाए हैं। इसलिए वे जनतंत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाते।

इलाहाबाद में मुसहर समुदाय : जीवन और परिस्थितियाँ

इलाहाबाद ज़िले के बहादुरपुर ब्लॉक में मुसहर समुदाय स्थायी रूप से अमरसापुर, अंदावा, बहादुरपुर, बनी, बरईपुर, चकिया, चकचुरावन, कनिहार, कातवारूपुर, कौडरु, कुँआडीह, लोढ़वा, मेढुवा, मुस्तफ़ाबाद, रहिमापुर, रमईपुर, दलापुर, सीहीपुर, सुदनीपुर खुर्द ग्राम पंचायत में रहते हैं।[10] 27

---

[9] बद्री नारायण (2016).

[10] http://www.censusindia.gov.in/2011census/SC-ST/pca_state_distt_sc.xls 20/05/2017 को देखा गया.

पासी समुदाय का एक पक्का घर

पासी समुदाय ज़्यादा सशक्त है क्योंकि पासी समुदाय में आवासहीनता की स्थिति बिल्कुल नहीं है जबकि मुसहर समुदाय में आवासहीनता की स्थिति व्याप्त है। मुसहर समुदाय के 20 उत्तरदाता आवासहीन हैं, इसलिए उनके लिए तो भूमि के स्वामित्व का सवाल ही नहीं उठता। दूसरी तरफ़ निजी भूमि पर बने आवास के संबंध में केवल पासी समुदाय के लोगों के पास स्वामित्व है। ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या 20 रही है जबकि मुसहर समुदाय में एक भी उत्तरदाता के पास निजी भूमि का स्वामित्व नहीं है।

गाँवों में उनका स्थायी निवास है जहाँ वे पीढ़ियों से रहते आ रहे हैं। सुदनीपुर खुर्द, अमरसापुर और गुलालपुर जैसे गाँवों में संख्या अधिक होने के बावजूद इस समुदाय के लोग अभी पंचायती राज प्रणाली में दृश्यमान नहीं हो पाए हैं। वे वोट दे कर अपना प्रधान तो चुनते हैं लेकिन ख़ुद प्रधान के पद पर दावेदारी नहीं कर पाते। हाँ, एक बात अवश्य हुई है कि दूसरे समुदायों के प्रधान अब उनकी उपेक्षा नहीं कर पाते। बाक़ी जिन गाँवों में वे छोटी संख्या जैसे पाँच, चार, या दो परिवारों के समूह में हैं, वहाँ उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। वहाँ उनका शेष ग्रामीण समाज और राजनीति से पूर्ण विलगाव देखा जा सकता है। रहिमापुर, रमईपुर, कौडरु और दलापुर में ऐसा ही है। इलाहाबाद में मुसहर वनराजा या वनवासी (वन के वासी) के नाम से जाने जाते हैं।

मुसहर जहाँ स्थायी रूप से रहते हैं, वहाँ पर ग्राम प्रधान के माध्यम से उन्हें कॉलोनी आबंटित है जिनमें सुविधाओं का पूर्ण अभाव है। पानी, बिजली की व्यवस्था नहीं है। मकान जर्जर हैं। दरअसल, राज्य प्रायोजित योजनाएँ अकसर परिधीय तबक़ों में अपने प्रति विश्वास उत्पन्न नहीं कर पाती हैं, इसलिए ऐसे तबक़े इनसे मुँह मोड़ लेते हैं।[11]

---

[11] http://www.epw.in/journal/2014/5/commentary/politics-reservation-categories-uttar-pradesh.html 12/03/को देखा गया.

स्वास्थ्य सुविधाएँ, जनतंत्र एवं मुसहर

सुखदेव थोराट और उनके साथियों ने अपने अखिल भारतीय अध्ययन में बताया है कि स्वास्थ्य सुविधाओं तक दलितों की पहुँच पूरे भारत में ही सीमित और बाधित है।[12] मुसहर ग़रीब हैं इसलिए उनकी पहुँच स्वास्थ्य सेवाओं तक नहीं हो पाती। वास्तव में अनुसूचित जातियों में शामिल एक बड़ा तबक़ा राज्य द्वारा प्रायोजित योजनाओं तक पहुँचने में असमर्थ रहता है।[13] थोराट बताते हैं कि कुछ लोग बड़ी से बड़ी बीमारी से नहीं मरते, क्योंकि वे महँगी दवाएँ ख़रीद सकने में सक्षम हैं जबकि कमज़ोर तबक़े सामान्य बीमारियों के कारण ही दम तोड़ देते हैं। ऐसा वित्त और सूचना के अभाव में होता है।[14] बेला भाटिया ने मध्य बिहार के दलित खेतिहर मज़दूरों के स्वास्थ्य की स्थिति के बारे लिखा है कि दलित खेतिहर मज़दूरों के टोलों में हैजा हो जाने का मतलब सीधे मौत होता है। बच्चे बिना किसी टीके के पोलियो, टिटनेस और डिप्थीरिया जैसी बीमारियों को शिकार होने के अंदेशे से ग्रस्त रहते हैं। कुपोषण और रक्ताल्पता की समस्या तो आम है। अगर आँखें कमज़ोर हैं तो वे न इलाज करा सकते हैं और न चश्मा बनवा सकते हैं।[15] इसी के साथ ग्रामीण इलाक़ों में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली है। ग्रामीण भारत में सर्जन और फ़िज़ीशियन की लगभग 83 प्रतिशत कमी है।[16] ये सब बातें परिधीय तबक़ों के ख़िलाफ़ जाती हैं। मुसहर भी इसी श्रेणी में हैं।

अब हम इसे उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में मुसहरों के संदर्भ में देखने का प्रयास करेंगे। बहादुरपुर ब्लॉक में इसी नाम का एक गाँव है जो इलाहाबाद शहर से दस किलोमीटर दूर हबूसा मोड़ से डेढ़ किलोमीटर दूर सहसों रोड पर स्थित है। सड़क से पश्चिम की ओर लगभग 250 मीटर दूर गाँव के किनारे मुसहरों के घर हैं। यहाँ पर तीन पीढ़ियों से पाँच मुसहर परिवार स्थायी निवास कर रहे हैं। पैंसठ वर्षीय बदबू वनवासी की चालीस वर्षीय पुत्री सुनीता अपने ससुराल से रक्षाबंधन त्यौहार मनाने के लिए दो दिन पहले अपने घर आयी थी। उसका स्वास्थ्य कई दिनों से ख़राब चल रहा था। उसकी अचानक मृत्यु हो गयी। बदबू वनवासी की पत्नी गुलाबी का कहना था कि मौजूदा प्रधान ने शव को गंगा में प्रवाहित करने के लिए कुछ पैसे और ट्रैक्टर की व्यवस्था कर मदद की थी। एक दिन बाद सुनीता के भाई राजेंद्र की पुत्री अंतिमा की भी मौत हो गयी। उसकी उम्र चार वर्ष थी। राजेंद्र वनवासी का कहना था कि शाम सात बजे उल्टी-दस्त होने के कारण वे अंतिमा को बहादुरपुर चौराहे पर प्राइवेट अस्पताल में ले गये। रक्षाबंधन के कारण अस्पताल बंद था। जिसके बाद वे सरकारी अस्पताल गये। राजेंद्र वनवासी के मुताबिक वहाँ के स्वास्थ्य कर्मचारी ने राजेंद्र को बताया कि डॉक्टर नहीं हैं, और कहा, 'अपनी बेटी को ले जाओ।' अंतिमा की दादी गुलाबी के अनुसार वहाँ कोई बीमार की नब्ज़ भी देखने के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद राजेंद्र मजबूरी में अपनी बीमार बेटी अंतिमा को घर ले आये। तक़रीबन पौने तीन बजे उसकी मौत हो गयी। इसके बाद इस परिवार के लोगों ने अंतिमा के शव को गंगा में प्रवाहित कर दिया। परिवार के दो सदस्यों की अचानक मृत्यु होने के कारण परिजन अत्यधिक गम्भीर परिस्थितियों से जूझ रहे थे कि अचानक राजेंद्र के छोटे भाई राधेश्याम के 11 वर्षीय बेटे महेंद्र की भी सुबह चार बजे मौत हो गयी। इसका मौत कारण भी उल्टी-दस्त ही बताया गया था। दो मौतों के वजह से इनका ध्यान 11 वर्षीय महेंद्र पर ध्यान गया ही नहीं। आर्थिक तंगी के कारण महेंद्र के शव को उन्होंने अपने घर के पीछे कुछ दूर में बिना गाँव वालों को बताए दफ़ना दिया। इसकी

---

[12] सुखदेव थोराट (2017).

[13] बद्री नारायण (2016).

[14] सुखदेव थोराट (2017).

[15] बेला भाटिया (2002).

[16] *द हिंदू*, 9 अगस्त, 2016. http://www.thehindu.com/sci-tech/health/policy-and-issues/malady-nation-rural-health-care-not-all-are-equal-where-health-coverage-lags-behind/article8961062.ece seen on 10/08//2016.

सूचना गाँव के अन्य लोगों ने पुलिस को दी। इसकी ख़बर 20 अगस्त, 2016 को दैनिक जागरण में भी छपी[17] जिसके मुताबिक़ ग्रामीणों की सूचना पर सराय इनायत थाने की पुलिस ने शव को क़ब्र से निकलवा कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। गुलाबी ने बताया कि पुलिस वाले मेरे पोते को चीर घर ले गये और वहीं उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। हमें इसकी जानकारी नहीं मिली कि मौत का कारण क्या था। वास्तव में स्थानीय प्रशासन ने पुलिस द्वारा मुसहर परिवार को कुछ पैसे दिये और यह आश्वासन दिया कि तुम्हें कॉलोनी की व्यवस्था भी करा दी जाएगी।

इस बस्ती के मुसहर पिछले 50 वर्ष से भी अधिक समय से यहीं रह रहे हैं। वहाँ न पानी की व्यवस्था है और न ही कोई अन्य जन-सुविधा। जीविका चलाने वाले साधन के नाम पर 20 साल पहले लगाया गया बरगद का पेड़ है। इसके पत्तों से वे दोना-पत्तल बनाते हैं। आज से तीस बर्ष पहले गाँवों में विवाह-गौना, कथापूजा, छट्ठी, बरही, और मृत्यु भोजों के मौक़ों पर दोना पत्तल की अच्छी खपत थी जिससे पर्याप्त आमदनी हो जाया करती थी। परंतु अब दोना-पत्तल की जगह प्लास्टिक की प्लेटों और कटोरियों की माँग के चलते इनका काम हाशिये पर आ गया है। मैंने कई मुसहर गाँवों में देखा है कि मुसहर समुदाय अपने परम्परागत पेशे में केवल दोना ही बनाते हैं क्योंकि पत्तल अब कोई नहीं लेता। चकचुरावन कनिहार गाँव के मँगरू का कहना है कि मंदिरों में पूजा सभी करने आते हैं। माली को फूल, और माला रखने के लिए दोने की ज़रूरत होती है। परंतु केवल दोना बना कर घर का काम नहीं चलाया जा सकता इसलिए उन्हें आय के अन्य स्रोतों की भी तलाश करनी पड़ती है। मुसहर नज़दीकी ईंट भट्ठे पर काम करते हैं जिसकी उन्हें सौ या डेढ़ सौ रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मज़दूरी मिल जाती है। परिवार की अन्य महिलाएँ व पुरुष गाँव की प्रभुत्वशाली जातियों के खेतों में भी मज़दूरी करते हैं, जिसके बदले उन्हें डेढ़ धरा या सात किलो पाँच सौ ग्राम अनाज प्रतिदिन मिलता है।

विकास से कोसों दूर मुसहर

उत्तर प्रदेश में मुसहरों की बस्तियाँ विकास से कोसों दूर हैं। उनके अपने नेता नहीं हैं। इसलिए उनकी आवाज़ जनतंत्र के अखाड़े में अनसुनी रह जाती है। उनकी ग़रीबी भी उन्हें आपस में इकट्ठा नहीं होने देती। इसके चलते वे अपनी राजनीति खड़ी नहीं कर पाते। उनके लिए दो-जून की रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल काम होता है।[18] मुसहरों की दु:खद मृत्यु से कुछ दिन पहले मैं इलाहाबाद शहर से 15 किलोमीटर दूर स्थित बहादुरपुर ब्लॉक के दलापुर गाँव में मुसहर समुदाय का सर्वेक्षण करने गयी थी। दलापुर में मुसहरों के चार परिवार रहते हैं। महिलाएँ नज़दीकी जंगलों से जलावन की सूखी लकड़ी बटोर कर बेचती हैं। यहाँ के मुसहर भी दोना-पत्तल बनाते हैं। सौ पत्तल की एक गड्डी बना कर वे चालीस रुपये में किसी 'करनी-मरनी' में बेचते हैं। 'करनी' का आशय शुभकार्यों से है जबकि 'मरनी' का अर्थ मृतक संस्कारों जैसे तेरहवीं और श्राद्ध से है। दोने का बाज़ार ज़्यादा है। इसे वे नज़दीकी मालियों और चाट-मसाला बनाने वालों को दस रुपये में पचास दोने के हिसाब से बेचते हैं। यही उनकी दैनिक आय का साधन है। यह दोना-पत्तल महुआ, बरगद, और ढाक के वृक्षों की पत्तियों से बनता है। इस गाँव के फूलचंद्र वनवासी बताते हैं कि दोना पत्तल सबसे अच्छा ढाक के वृक्षों की पत्तियाँ से बनता है क्योंकि इस वृक्ष के पत्ते लम्बे और चौड़े होते है, जिसे पलाश, टेसू, केसू आदि नामों से भी जाना जाता है। इस वृक्ष के दो या तीन पत्तियों से दोना बन जाता है और पाँच या सात पत्तों से पत्तल, परंतु वर्तमान समय में ढाक के वृक्षों की कमी के वजह से यह दोना-पत्तल महुआ व बरगद के पत्तों से बनाया जाने लगा है।

---

[17] *दैनिक जागरण,* 20 अगस्त 2016, इलाहाबाद संस्करण.

[18] http://www.epw.in/journal/2014/5/commentary/politics-reservation-categories-uttar-pradesh.html.

हाथ से बने दोने-पत्तल की माँग कम होने से बनी परिस्थिति को हम तकनीक के किसी समुदाय की जीविका और अस्तित्व पर पड़ने वाले प्रभाव के ज़रिये समझ सकते हैं। वास्तव में उन्नीसवीं शताब्दी में औद्योगिकीकरण ने विभिन्न समुदायों को रोज़ी-रोज़गार से वंचित कर दिया है। बाँस की टोकरी को प्लास्टिक की टोकरी ने प्रतिस्थापित कर दिया और शादी-विवाह के अवसर पर दिये जाने वाले बाँस के झाबा-झपिया को दफ़्ती के बने मिठाई वाले डिब्बों ने बाहर कर दिया। इससे बाँस का काम करने वाले समुदाय बुरी तरह से प्रभावित हुए।[19] कन्नड़ दलित चिंतक डी.आर. नागराज ने इस प्रक्रिया को टेक्नोसाइड कहा है।[20] उनका मानना था पूँजीवाद की आर्थिक और राजनीतिक संरचना की व्याख्या तो पश्चिम के समाज-विज्ञान ने की, पर उसके जातीय और सांस्कृतिक आधार की विवेचना करना तीसरी दुनिया के दलित बहुजन बुद्धिजीवियों का कर्तव्य है। आधुनिक प्रौद्योगिकी के ज़रिये हुए कारीगर जातियों और समुदायों के संहार को समझे बिना यह व्याख्या अधूरी रहेगी।[21] तकनीक ने मुसहरों की रोज़ी-रोज़गार का संहार कर दिया है। कई परिधीय तबक़े इसी टेक्नोसाइड का शिकार हुए हैं।

सुअर साहूकारी

भूमिधर तबक़ों के लिए खेती जीविका का साधन रही है। लेकिन समाज के जिन वर्गों के पास खेती करने लायक़ ज़मीन नहीं रही है, वे जंगलों से प्राप्त मामूली चीज़ों, पशुओं और मछलियों से अपनी जीविका चलाते रहे हैं। दलितों की जीविका में पशुओं का विशेष महत्त्व रहा है। अधिकांश दलित तबक़े पशुपालक रहे हैं। मुसहर हमेशा परम्परागत पेशे से जुड़े रहे ,परंतु उन्हें दूसरे काम भी करने पड़े जिसमें एक काम सुअर-पालन भी रहा है। हाल के वर्षों में पशु महँगे हुए हैं। सुअर भी महँगा हुआ है। मुसहरों के लिए जब सुअर ख़रीदना मुश्किल हो गया तो उन्होंने इसे बँटाई पर लेना शुरू कर दिया। सुअर को जो जाति बँटाई पर देती है, वह है खटीक। खटीक समुदाय भी अनुसूचित जातियों में शुमार है। इनका राजनीतिक संकेंद्रण कौशाम्बी और इलाहाबाद में है और उनके अपने सांसद भी हैं।

खटीक जाति के लोग अब स्वयं सुअर पालने के बजाय यह काम मुसहर जाति को बँटाई पर देने लगे हैं। सुअर ख़रीदने के लिए आवश्यक आरम्भिक पूँजी मुसहरों के पास नहीं होती, इसलिए आरम्भिक पूँजी न ले कर सीधे वह सुअर का बच्चा अधिया पर ले लेते हैं। वह दो साल में बेचने लायक़ हो जाता है। इसी बीच में मादा सुअर जो छौनी जन्मती है, उसको फिर प्राथमिक पूँजी मान कर मुसहर को बँटाई पर दे दिया जाता है। मुसहर का काम सुअर को चराना होता है यानि उनको बाहर ले जाना होता है। सुअर ख़ुद अपना मल-मूत्र बाहर त्यागता है, साथ में दूसरों का मल खाता है। सुअर तालाबों के किनारे उगने वाली कुछ वनस्पतियों की जड़ों को खाते हैं। वे जलकुम्भी की जड़, तना व रेहुआ के कीड़े बहुत तेजी से खाते हैं जिससे उनको प्रोटीन मिलती है और उनका वज़न बढ़ता है। इसके बाद मुसहर उनके लिए धान की भूसी, कना व चावल की पालिश ख़रीदते हैं।

इस पूरी प्रक्रिया में दो साल लगते हैं। एक सुअर को पालने में पूरा ख़र्च 1,000 से 1,200 रुपये आता है। जब तक वह बेचने लायक न हो जाए, इसका पूरा ख़र्चा मुसहर समुदाय ही करता है। जब एक सुअर 20 से 25 हज़ार में बिक जाता है, तो आधा पैसा मुसहर को मिलता है और आधा पैसा जो अधिया पर देता है, उसका हो जाता है। दलापुर में मुसहर खटीक जाति के लोगों से शुरुआती पैसा लेकर सुअर ख़रीदते हैं। देखने की बात यह है कि मुसहर और खटीक दोनों अनुसूचित जाति के हैं। लेकिन आर्थिक रूप से और रणनीतिक रूप से खटीक बेहतर दशा में हैं। खटीक समुदाय का व्यक्ति

[19] रमाशंकर सिंह (2015) : 266. यह भी देखें, रमाशंकर सिंह (2017).

[20] डी.आर. नागराज (2010) : 113, 179-80.

[21] अभय कुमार दुबे (सं.)(2002) : 15.

एक बार पैसा दे कर उस पैसे को बढ़ाने में सफल हो जाता है जबकि मुसहर को मेहनत करने के बाद अपने श्रम तथा वज़न बढ़ाने के लिए खिलाए गये चारे की लागत काट कर कम मिलता है। ऐसा इसलिए है कि मुसहर आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और प्राय: निरक्षर होने के कारण वे आर्थिक दृष्टि से दूरदर्शी फ़ैसले नहीं ले पाते। सवाल यह है कि मुसहर इस पैसे का क्या करते हैं? यह पैसा उनका अतिरिक्त पैसा होता है। इस पैसे के द्वारा वह अपने दैनिक जीवन की अन्य आवश्कताएँ पूरी करते हैं जैसे शराब पीना, मांस खाना, क़र्ज़ चुकाना, राशन लाना। वे इन पैसों को इकट्ठा कर बचत के रूप में तब्दील नहीं कर पाते।

अधिकार के प्रति जागरूकता : संख्या बल की ताक़त

जनतंत्र संख्याओं के बल पर धरातल पर उतरता है। संख्या चुनाव जीतने में मदद करती है। संख्या-बल की दृष्टि से बड़े समुदाय अपनी बात ज़ोरदारी से कह सकते हैं। इसके उलट, संख्यात्मक रूप से कमज़ोर समुदाय की बात कोई नहीं सुनता है।[22] इसे हम कनिहार गाँव में देख सकते हैं जो इलाहाबाद से 12 किलोमीटर दूर पड़ता है। इसमें मुसहर समुदाय के लोग स्थायी रूप से रहते हैं। सरकार ने इन लोगों को चार कॉलोनी भी आबंटित की थी। कनिहार गाँव में कुल नौ घर बने हैं जिसमें आठ परिवार रहते हैं। इसमें कुल सदस्यों की संख्या पैंतीस है। कुल 15 बच्चों में से 9 बच्चे स्कूल जाते हैं। इनमें 5 लड़की व 4 लड़के हैं जो कक्षा तीन, दो या पाँच में पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे स्कूल नहीं जाते। 25 साल से ज़्यादा उम्र का कोई व्यक्ति स्कूल नहीं गया है अर्थात् इस गाँव में मुसहरों की पहली पीढ़ी ही स्कूल जा रही है। इस गाँव का एक भी व्यक्ति सरकारी नौकरी पाने में सफल नहीं हो पाया है। हाँ, उन्होंने अपने आय के स्रोतों को बढ़ाने का प्रयास किया है। वे मुर्गी, बकरी, बत्तख, सुअर इत्यादि का पालन करते हैं और उन्हें समय-समय पर ख़रीदते व बेचते रहते हैं। अपने घर के आँगन में थोड़ी-सी बची हुई ज़मीन में सब्ज़ी व हल्दी जैसी चीज़ों को ज़रूरत के अनुसार उगा लेते हैं।

इस गाँव की निवासी कमलेश की बेटी रेखा वनवासी को कॉलोनी मिली है। वह उस कॉलोनी में अपने पति राजकुमार के साथ रहती है। रेखा का पति मज़दूरी करता है, जिससे उसे 300 रुपये प्रतिदिन मिल जाते हैं। रेखा बताती है कि बगल के गाँव में, जो उनके गाँव से 250 मीटर दूर है, में चमार जाति को सरकार के तरफ़ से (प्रधान द्वारा) सारी योजना का लाभ मिल जाता है। वह बताती है कि महालक्ष्मी, महामाया, साइकिल, गैस-चूल्हा व मनरेगा में भी काम मिलता है। उसने यह भी बताया कि उनके पास राशन कार्ड है, परंतु गाँव के प्रधान ने उनका मनरेगा कार्ड अभी तक नहीं बनवाया है। गाँव का कोटेदार उन्हें मिट्टी का तेल भी नहीं देता। पूछने पर कहता है कि ख़त्म हो गया है। रेखा व मुसहर समुदाय की अन्य महिलाएँ बताती हैं कि उन्हें गैस-चूल्हे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है परंतु प्रधान ने ये सुविधाएँ उनके बजाय समर्थ परिवारों के नाम लिखवा दीं।

60 वर्षीय नवरंगी वनवासी का कहना है कि उसे छह साल पहले बस तीन कॉलोनी ही आबंटित की गयी थी, वह भी पूर्व प्रधान के हस्तक्षेप से, जो जाति से खटीक समुदाय का था। परंतु विष्णु प्रधान का समय ख़त्म होने के बाद जहाँ पर मुसहर रह रहे थे, वहाँ के प्रभुत्वशाली जाति के लोग उनकी जमीन पर क़ब्ज़ा कर रहे थे। मुसहर संख्या में कम थे इसलिए उन्होंने जौनपुर, मछलीशहर से अपने रिश्तेदारों को बुलाया। वे पुलिस थाने पर गये और संख्या बल दिखाया। इसके बाद ही पुलिस ने हस्तक्षेप किया जिसके पश्चात उन्हें अपनी ज़मीन और आने-जाने का रास्ता मिल गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि दैनिक जीवन की सामान्य समस्याओं के लिए भी संख्या बल महत्त्वपूर्ण हो जाता है।

---

[22] बद्री नारायण (2016).

II

मुसहर व पासी समुदाय का तुलनात्मक अध्ययन

इस अध्ययन हेतु इलाहाबाद ज़िले के चार गाँवों बंजहा, बहादुरपुर, दलापुर तथा सुदनीपुर खुर्द से आवासहीन तथा स्थायी आवास के आधार पर मुसहर तथा पासी समुदाय के उत्तरदाताओं का चयन किया गया है। इस शोध-अध्ययन में उत्तरदाताओं की कुल संख्याओं का योग 200 है।

ग्रामानुसार उत्तरदाताओं की संख्या

इस चित्र में उत्तरदाताओं की संख्या ग्रामानुसार प्रदर्शित की गयी है, जिसमें मुसहर एवं पासी समुदायों को स्थायी तथा आवासहीन आधार पर विभाजित किया गया है। चित्र से स्पष्ट होता है कि

बंजहा गाँव के अलावा अन्य तीन गाँवों में मुसहर समुदाय का स्थायी तौर पर निवास है जबकि पासी समुदाय से एक भी उत्तरदाता आवासहीन नहीं है।

आवासहीन मुसहर बंजहा गाँव से 500 मीटर दूर बगीचे में प्लास्टिक की तिरपाल और मड़ई में लगभग बीस साल से रह रहे हैं। बंजहा गाँव की 50 वर्षीय शांती भरतीया के अनुसार यह समुदाय इस गाँव में कई सालों से भट्ठे में काम करने के लिए आता रहा है। काम न मिलने पर ये लोग जंगलों के बीच आते-जाते रहते हैं। पहले ये गाँव में घूम-घूम कर, भीख माँगने व जूठन उठाने का काम करते थे। शांती भरतीया के सम्बोधन में इन्हें उट्ठल्लू चूल्हा कहा जाता है। गाँव की प्रभुत्वशाली जाति भी मुसहर समुदाय को उट्ठल्लू चूल्हा व (मुसहंरा) कहती है। ज़ाहिरा तौर पर उट्ठल्लू चूल्हा का मतलब होता है श्रमोपार्जन व काम की तलाश में अपना चूल्हा उठा कर यहाँ-वहाँ बसना। उत्तरदाताओं की संख्या से संबंधित कुल प्रतिशत वितरण को निम्न तालिका द्वारा समझा जा सकता है :

इस तथ्य-चित्र से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 32.5 प्रतिशत उत्तरदाता सुदनीपुर खुर्द गाँव से हैं। इसके उपरांत बंजहा, बहादुरपुर, दलापुर गाँवों के लिए यह संख्या क्रमशः कम होती जाती है।

तालिका-1.1

	गाँव	मुसहर		पासी		कुल
		आवासहीन	स्थायी आवास	आवासहीन	स्थायी आवास	
1	बहादुरपुर	0	12	–	35	47 (23.5)
2	बंजहा	20	0	–	35	55 (27.5)
3	दलापुर	0	13	–	20	33 (16.5)
4	सुदनीपुर खुर्द	0	55	–	10	65 (32.5)
	कुल	20	80	–	100	200 (100)

स्रोत : फ़ील्ड-सर्वेक्षण, कोष्ठक में दिये गये मान प्रतिशत दर्शाते हैं।

ग्रामानुसार उत्तरदाताओं का प्रतिशत वितरण

उपर्युक्त तालिका में उत्तरदाताओं को लिंगानुसार विभाजित किया गया है। कुल उत्तरदाताओं में मुसहर समुदाय से 66 पुरुष तथा 34 महिलाएँ शामिल हैं। वहीं आवासहीनता एवं स्थायी आवास के आधार पर

तालिका-1.2
उत्तरदाताओं का लिंगानुसार वितरण

लिंग	मुसहर		पासी	कुल प्रतिशत
	आवासहीनता	स्थायी आवास		
पुरुष	14	52	65	131(65.5)
महिला	6	28	35	69 (34.5)
कुल	20	80	100	200 (100.0)

स्रोत : फ़ील्ड-सर्वेक्षण, कोष्ठक में दिये गये मान प्रतिशत दर्शाते हैं।

क्रमश: 14 और 52 पुरुष तथा 6 और 28 महिलाएँ मुसहर समुदाय से उत्तरदाता के रूप में शामिल रही हैं जबकि पासी समुदाय से 65 पुरुष एवं 35 महिलाएँ शामिल रही है। पासी समुदाय को आवास के आधार पर नहीं बाँटा गया है क्योंकि इस समुदाय के सभी उत्तरदाता स्थायी आवास वाले थे।

भूमि के स्वामित्व का प्रश्न न केवल जीविका से जुड़ा है बल्कि यह हाशिये के लोगों के सामाजिक एवं राजनीतिक सशक्तीकरण में भी अहम भूमिका अदा करता है। तालिका–1.3 में मुसहर एवं पासी समुदाय के आवास के लिए उपलब्ध भूमि के मालिकाना हक़ के संबंध में विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। आँकड़े बतलाते हैं कि दोनों समुदायों में पासी समुदाय ज़्यादा सशक्त है क्योंकि पासी समुदाय में आवासहीनता की स्थिति बिल्कुल नहीं है जबकि मुसहर समुदाय

लिंगानुसार प्रतिशत वितरण

उपर्युक्त पाई चार्ट उत्तरदाताओं के प्रतिशत वितरण को लिंगानुसार दर्शाता है।

तालिका–1.3
आवासीय भूमि के स्वामित्व के आधार पर परिवारों का वितरण

स्वामित्व का	मुसहर		पासी	कुल/ प्रतिशत
	आवासहीन	स्थायी आवास		
निजी भूमि	–	–	59	59 (29.5)
पट्टाधारक भूमि	–	300.70 वर्ग गज़	41 87 वर्ग गज़	71 (35.5)
सरकारी या अन्य लोगों की भूमि	–	50	–	50 (25)
आवासीन	20	. –	0	20 (10.0)
कुल	20	80	100	200 (100)

स्रोत : फ़ील्ड–सर्वेक्षण, कोष्ठक में दिये गये मान प्रतिशत दर्शाते हैं।

में आवासहीनता की स्थिति व्याप्त है। मुसहर समुदाय के 20 उत्तरदाता आवासहीन हैं, इसलिए उनके लिए तो भूमि के स्वामित्व का सवाल ही नहीं उठता। दूसरी तरफ़ निजी भूमि पर बने आवास के संबंध में केवल पासी समुदाय के लोगों के पास स्वामित्व है। ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या 20 रही है जबकि मुसहर समुदाय में एक भी उत्तरदाता के पास निजी भूमि का स्वामित्व नहीं है। मुसहर समुदाय के कुछ उत्तरदाता पट्टाधारक भी है जिनकी संख्या 30 है जबकि सरकारी या अन्य लोगों की भूमि पर बसे उत्तरदाताओं की संख्या 50 है।

स्पष्ट है कि मुसहर समुदाय के लोगों के पास जो आवास है उसमें अधिकांश भूमि या तो सरकारी है या फिर किसी दूसरे समुदाय के लोगों के स्वामित्व वाली है जिस पर मुसहर समुदाय के लोगों ने आवास बनाए हुए हैं, जबकि पासी समुदाय के लोगों के पास अधिकांश भूमि उनकी निजी स्वामित्व वाली है जो इस बात का द्योतक है कि उनकी आर्थिक स्थिति मुसहर समुदाय के लोगों की अपेक्षा सुदृढ़ है।

किसी परिवार की आर्थिक गति किस तेजी के साथ आगे बढ़ेगी इसका निर्धारण उस परिवार की आय पर निर्भर करता है और आय रोज़गार-संरचना पर। भारतीय परिदृश्य में रोज़गार के लिहाज़ से सर्वाधिक जनसंख्या परम्परागत, कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में कार्यरत है[23] किंतु इन क्षेत्रों में श्रमिकों की दृष्टि से आमदनी अच्छी नहीं है। उन्हें इन क्षेत्रों से केवल जीवन-निर्वाह स्तर की आय प्राप्त हो पाती है। इसलिए परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए मज़दूर एवं हाशिये के समाज से जुड़े लोगों को रोज़गार के परम्परागत क्षेत्रों पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी।

तालिका-1.4 में इसी बात की पड़ताल की गयी है कि मुसहर एवं पासी समुदाय में रोज़गार

तालिका-1.4
रोज़गार संरचना का तुलनात्मक अध्ययन

	आजीविका	मुसहर		पासी		कुल	
		मुख्य	गौण	मुख्य	गौण	मुख्य	गौण
अ	परम्परागत						
	दोना-पत्तल	43	12	.	.	43	12
	जलावन की लड़की बेचना	01	26	.	.	01	26
	ईंट-भट्ठा	52	14	.	.	52	14
	निर्माण श्रमिक (अकुशल)	.	.	22	04	22	04
	निर्माण श्रमिक (कुशल)	01	.	08	.	09	.
	कृषक मज़दूर	03	30	.	.	03	30
	पशुपालन	.	05		06	.	11
	उप-योग	100	87	30	10	130	97
ब	**खेती**						
	स्वयं की खेती	.	.	3	25	3	25
	बटाईदारी खेती	.	.	17	29	17	29
	उप-योग	.	.	20	54	20	54
स	**ग़ैर-पारम्परिक**						
	सरकारी नौकरी	.	.	25	.	25	.
	मज़दूरी आधारित निजी काम	.	.	20	.	20	.
	सामुदायिक स्तरीय कार्यकर्ता	.	.	01	.	01	.
	स्व-रोज़गार			04		04	
	उप-योग	.	.	50	.	50	.
द	**कोई काम नहीं**	–	13		36		49
	योग	100	100	100	100	200	200

स्रोत : फ़ील्ड सर्वेक्षण

संरचना की स्थिति क्या है? आर्थिक स्तर पर कौन समुदाय सशक्त है और कौन आज भी हशियाकृत है? इन सारी बातों का उत्तर इस विश्लेषण के उपरांत ही स्पष्ट हो सकेगा। अतएव इन समुदायों की रोज़गार-संरचना के अध्ययन हेतु आजीविका के स्रोत को मुख्यत: तीन भागों में विभाजित किया गया

[23] http://www.financialexpress.com/budget/india-economic-survey-2018-for-farmers-agriculture-gdp-msp/1034266/.

है, जो क्रमशः परम्परागत, खेती और ग़ैर-परम्परागत स्रोतों में विभाजित है। तालिका में एक और विभाजन 'कोई काम नहीं' शीर्षक के तहत किया गया है। जिसका आशय उन उत्तरदाताओं से है जिनके लिए कोई भी पेशा द्वितीयक पेशा नहीं हैं। अर्थात् मुख्य पेशे से या तो उनको समय नहीं मिल पा रहा है या मुख्य पेशे से ही उनको पर्याप्त आमदनी हो रही है जिस कारण वे द्वितीयक पेशे में शामिल नहीं हैं।

(अ) परम्परागत स्रोत : अध्ययन की सुविधा के लिए परम्परागत स्रोतों को भी कई उप स्रोतों में बाँटा गया है जिसमें दोना-पत्तल, जलावन की लकड़ी बेचना, ईंट-भट्ठा निर्माण श्रमिक (अकुशल), निर्माण श्रमिक (कुशल), कृषक मज़दूर, पशुपालन आदि शामिल है। मुसहर समुदाय में मुख्य पेशे के तौर पर सर्वाधिक रूप से ईंट-भट्ठे पर मज़दूरी एवं दोना-पत्तल निर्माण प्रचलित है। जबकि जलावन की लकड़ी बेचना तथा कृषि मज़दूरी करना सर्वाधिक लोगों के लिए गौण या द्वितीयक है, अर्थात् मुख्य पेशा करने के उपरांत समय मिलने पर वे इस प्रकार के कार्य करते हैं या मुख्य काम से गुज़ारा न चलने के कारण मजबूरन द्वितीयक कार्य करते हैं। वहीं पासी समाज में परम्परागत पेशे से केवल तीन पेशे ही प्रचलन में है जिनमें से अकुशल निर्माण श्रमिक का पेशा मुख्य है जबकि पशुपालन सर्वाधिक गौण पेशा है।

(ब) खेती : मुसहर समुदाय के लिए किसी भी प्रकार की खेती न तो मुख्य पेशा है, और न ही गौण की श्रेणी में शामिल है। ऐसा होने के पीछे दो मुख्य कारण हैं : पहला तो यह कि उनका अपना स्थायी निवास नहीं है और दूसरा उनके पास खेती के लिए अपनी ज़मीन नहीं है। इसलिए वे चाह कर भी खेती नहीं कर पाते। पासी समुदाय में तीन उत्तरदाताओं के लिए स्वयं की खेती तथा 17 उत्तरदाताओं के लिए बटाई की खेती उनका मुख्य रोज़गार है जबकि कुल 54 लोगों के द्वारा यह एक गौण पेशे के रूप में देखा जाता है जिसका मतलब यह है कि वे खेती को द्वितीयक पेशे के तौर पर देखते हैं।

(स) ग़ैर-परम्परागत स्रोत : ग़ैर-पारम्परिक स्रोतों के अंतर्गत उत्तरदाताओं के उत्तर के रूप में सरकारी नौकरी, मज़दूरी आधारित निजी काम, सामुदायिक स्तरीय कार्यकर्ता एवं स्व-रोज़गार शामिल हैं। खेती की भाँति इस रोज़गार स्रोत में भी मुसहर समुदाय से कोई उत्तरदाता शामिल नहीं है, वहीं दूसरी ओर पासी समुदाय से सर्वाधिक उत्तरदाता (50) इसी रोज़गार-स्रोत में शामिल हैं। रोज़गार-संरचना से जुड़े इस विश्लेषण में कई तथ्य समग्र रूप से उभर के सामने आते हैं। स्पष्ट देखा जा सकता है कि मुसहर समुदाय केवल परम्परागत पेशे से जुड़े हैं, जबकि पासी समुदाय के उत्तरदाता सर्वाधिक तौर पर ग़ैर-परम्परागत पेशे से जुड़े हुए हैं। खेती के संदर्भ में तो मुसहर समुदाय के लोग पूर्ण रूप से अनुपस्थित हैं जबकि पासी समुदाय की पर्याप्त संख्या इस पेशे से जुड़ी हुई है। मुसहर समुदाय की ऐसी स्थिति का मूल कारण उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के साथ ही उनका अशिक्षित होना भी है जिस कारण रोज़गार के अच्छे विकल्प तक पहुँच केवल मुखर अनुसूचित जातियों तक सिमट गयी है। हाशियाकृत जातियों के लिए रोज़गार-संरचना की यह स्थिति एक गम्भीर समस्या है जिसका निराकरण किये बिना इनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास की कल्पना भी नहीं जा सकती है।

शैक्षणिक स्थिति

शिक्षा किसी भी समाज या सामाजिक वर्ग के उत्थान का प्रमुख आधार होती है। शिक्षा के अभाव में न केवल वर्तमान पीढ़ी को अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, अपितु उनकी आगामी पीढ़ियों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। उपरोक्त तालिका में मुसहर एवं पासी समुदाय के उत्तरदाताओं की शैक्षणिक स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन दर्शाया गया है। इस तालिका के विश्लेषण में एक प्रमुख बात ध्यान देने योग्य यह है कि इस शोध अध्ययन के लिए कुल 200 उत्तरदाताओं को शामिल किया है, लेकिन

तालिका में कुल योग 200 से अधिक प्रदर्शित किया जा रहा है। इस स्थिति का मूल कारण तीन पीढ़ियों के शैक्षिक स्तर को दर्शाने हेतु सक्षम आँकड़े प्रस्तुत करना है।

दूसरे शब्दों में, उत्तरदाताओं के साथ उनके परिवार के उन सदस्यों की भी जानकारी शामिल की गयी है जिससे तीन पीढ़ी के आँकड़ों को दर्शाया जा सके। उदाहरण के तौर पर उत्तरदाता अगर पुरुष है साथ ही परिवार का मुखिया है तो उसके शैक्षिक स्तर के अलावा उसके माता-पिता तथा उसके बच्चों की शैक्षिक स्थिति की जानकारी उससे प्राप्त की गयी है, फिर आयु श्रेणी के अनुसार उन्हें जोड़ कर दर्शाया गया है। इस कारण कुल संख्या उत्तरदाताओं की संख्या से अधिक हो जाती है, जो कि मुख्यत: 200 उत्तरदाताओं पर ही आधारित है।

तालिका-1.5
मुसहर व पासी समुदायों के बीच तीन पीढ़ियों में शिक्षा की तुलनात्मक स्थिति

	मुसहर			पासी				
आयु श्रेणी	अशिक्षा	प्राइमरी	कुल	अशिक्षा	प्राइमरी	हाईस्कूल/इण्टर	ग्रेजुएट/प्रोफेशल	कुल
15-30	139 (79.89)	35 (20.11)	174 (100.0)	0	24 (13.19)	90 (49.45)	68 (37.36)	182 (100.0)
31-45	62 (98.41)	1 (1.59)	63 (100.0)	45 (34.09)	40 (30.30)	26 (19.70)	21 (15.91)	132 (100.0)
46 से ऊपर	37 (100.0)	0 (0.00)	37 (100.0)	31 (37.80)	34 (41.46)	09 (10.98)	8 (9.76)	82 (100.0)
कुल	238 (86.86)	36 (13.14)	274 (100.0)	76 (19.19)	98 (24.74)	125 (31.56)	97(24.49)	396 (100.0)

स्रोत : फ़ील्ड सर्वेक्षण, कोष्ठक में दिये गये मान प्रतिशत दर्शाते हैं।

इस तालिका को विश्लेषित करने के उपरांत मालूम पड़ता है कि मुसहर समुदाय के लिए 15-30 आयु वर्ग में 174, 31-45 आयु वर्ग में 63 तथा 46 से ऊपर 37 लोगों के शैक्षिक आँकड़े प्राप्त हुए हैं, जो कि समग्र रूप से 274 है। जबकि पासी समुदाय में 15-30 आयु वर्ग में 182, 15-30 में 87 तथा 46 से ऊपर के वर्ग में 51 लोगों के शैक्षिक आँकड़े प्राप्त होते हैं जो समग्र रूप से 396 है। इस विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि शैक्षिक स्तर से जुड़े सर्वाधिक आँकड़े पासी समुदाय से प्राप्त होते हैं। इससे समुदाय की शैक्षिक जागरूकता एवं चेतना का पता चलता है।

दूसरी ओर दोनों समुदायों के शैक्षिक स्तर की तुलना करने पर ज्ञात होता है कि मुसहर समुदाय में प्राइमरी स्तर से ज़्यादा एक भी शिक्षित व्यक्ति नहीं है, जबकि पासी समुदाय में स्नातक स्तर तक शिक्षित लोग पर्याप्त संख्या में पाए जा रहे हैं। मुसहर समुदाय में सर्वाधिक संख्या अशिक्षित लोगों की है जबकि पासी समुदाय में सर्वाधिक संख्या हाईस्कूल-इंटरमीडिएट तक पढ़े लोगों की है। अगर पीढ़ी के अनुसार देखा जाए (तालिका-1.5 के अनुसार) तो मुसहर समुदाय की वर्तमान पीढ़ी (15-30 आयु वर्ग) में पूर्व की अपेक्षा शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ा है लेकिन यह वृद्धि संतोषजनक नहीं है।

इस विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि पासी समुदाय में अनियमित रूप से स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या शून्य है जबकि मुसहर समुदाय में यह संख्या सर्वाधिक है। वहीं, दूसरी ओर उच्च

प्राथमिक स्तर पर मुसहर समुदाय से एक भी बच्चा स्कूल नहीं जाता है किंतु पासी समुदाय से 46 बच्चे स्कूल जाते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अनुसूचित जाति के अंतर्गत आने वाले हाशियाकृत समुदाय के बच्चों के शैक्षिक विकास से संबंधित गतिविधियों की स्थिति भी बेहद चिंताजनक है।

ग्रामीण विकास के संबंध में पंचायती राज की अहम भूमिका है। इस राजनीतिक संस्था में किसी समुदाय की भागीदारी या उसका प्रतिनिधित्व यह सुनिश्चित करता है कि वह समुदाय न केवल अपनी

समस्याओं एवं हितों के प्रति जागरूक है बल्कि दूसरे समुदाय के हितों से जुड़े मुद्दों पर भी चिंतित है। इस प्रकार की राजनीतिक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति विशेष से समूचे समुदाय को एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, जिससे उनका समुदाय ख़ुद को सशक्त महसूस करता है। अतएव यह जानना महत्त्वपूर्ण होगा कि मुसहर एवं पासी समुदाय से इन संस्थाओं में कितने प्रतिशत लोगों की भागेदारी हो रही है।

उपर्युक्त तथ्य-चित्र में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि प्रधानी में मुसहर वर्ग से शून्य प्रतिशत

तालिका-1.6

6-14 आयु वर्ग के बच्चों के विद्यालय जाने की स्थिति का विश्लेषण

विद्यालय न जाने वाले	4 4.34	1 0.8	5
अनियमित रूप से जाने वाले	57 61.9	0 0.0	57
नियमित प्राथमिक स्तर	31 33.6	70 59.8	101
नियमित उच्च प्राथमिक स्तर	0 0.0	46 39.3	46
कुल	92 100.0	117 100.0	209

स्रोत : फ़ील्ड सर्वेक्षण, कोष्ठक में दिये गये मान प्रतिशत दर्शाते हैं

जबकि पासी वर्ग की भागीदारी 25 प्रतिशत है। वहीं बीडीसी एवं वार्ड मेम्बर में मुसहर समुदाय क्रमश: 1 और 1 प्रतिशत तथा पासी समुदाय की भागीदारी क्रमश: 2 और 11 प्रतिशत है। इन आँकड़ों से ज़ाहिर होता है कि पंचायती राज संस्थाओं में पासी समुदाय की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है,

पंचायती राज संस्थाओं में भागीदारी

	प्रतिक्रिया	मुसहर	पासी	कुल उत्तरदाता
	हाँ	0	25	25
प्रधानी चुनाव	नहीं	100	75	175
	योग	100	100	200
	हाँ	1	2	3
बीडीसी	नहीं	99	98	197
	योग	100	100	200
वार्ड मेम्बर	हाँ	1	11	12
	नहीं	99	89	188
	योग	100	100	200

स्रोत : फ़ील्ड सर्वेक्षण

लेकिन मुसहर समुदाय की अपेक्षा बेहतर है। इन संस्थाओं में मुसहर समुदाय के लोगों की भागीदारी लगभग नगण्य है जो उनके विकास एवं हितों के संरक्षण के लिहाज़ से एक गम्भीर समस्या है।

निष्कर्ष

भारतीय सामाजिक ढाँचे में अनुसूचित जाति से संबंधित समुदाय के लोगों के लिए मुख्यधारा में पैठ करना हमेशा मुश्किल रहा है। यह वर्ग भारतीय समाज का मेरुदण्ड कही जाने वाली जाति-व्यवस्था के निचले पायदान से जुड़ा है। साथ ही अस्पृश्य भी समझा जाता रहा है, इसलिए समाज में इनकी स्वीकार्यता कम रही है। ऐसे परिदृश्य में इस वर्ग से जुड़े कुछ संख्या बहुल समुदाय राजनीतिक संस्थाओं में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में सफल रहे हैं। इसी कारण उन समुदायों का विकास अनुसूचित जाति के अन्य समुदायों की अपेक्षा ज़्यादा तेज़ी से हुआ है।

यह शोध अनुसूचित जाति के उन समुदायों के विश्लेषण से संबंधित है जो अनुसूचित जाति के मुखर समुदायों की अपेक्षा पिछड़ गये हैं। इस अध्ययन के लिए अनुसूचित जाति से एक मुखर तथा एक पिछड़ी जाति के रूप में क्रमशः पासी एवं मुसहर समुदाय को लिया गया है। इन दोनों समुदायों के तुलनात्मक अध्ययन एवं विश्लेषण द्वारा इनके सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों के अलावा इनके विकास की गति को अवरुद्ध करने वाले तत्त्वों को समझने का प्रयास किया गया है।

इस अध्ययन में मुख्य तौर पर यह बात उभर कर सामने आयी है कि मुसहर समुदाय के प्रत्येक क्षेत्र में पिछड़ने का मुख्य कारण उनकी आवासहीनता है। आवासहीनता के कारण उन्हें सामुदायिक स्तर पर संचालित होने वाली योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। और इसी के चलते राजनीतिक भागीदारी तथा शिक्षा भी उनकी पहुँच से दूर रहती है। नतीजतन न तो उनकी सामाजिक-चेतना विकसित हो पाती है, और न ही अन्य जातियों से उनके सामाजिक संबंध विकसित हो पाते हैं। इस कारण मुसहर समुदाय सरकार द्वारा संचालित सभी प्रकार की योजनाओं व सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं। वहीं, दूसरी तरफ़ पासी समुदाय प्रत्येक क्षेत्र में मुसहर समुदाय से आगे रहा है, जबकि मुसहर समुदाय की स्थिति चिंताजनक रही है। रोज़गार के स्रोत, भूमिधारिता एवं मालिकाना हक़, अर्जित आय का स्तर इत्यादि आर्थिक मुद्दों पर वर्तमान समय में भी मुसहर समुदाय की स्थिति दयनीय है। इस अध्ययन से यह भी पता चलता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की उपलब्धता के लिहाज़ से भी मुसहर समुदाय की स्थिति शोचनीय है। इन आवश्यकताओं की अनुपलब्धता के कारण ऐसे समुदाय और भी हाशियाकृत होते जा रहे है। जबकि पासी समुदाय मध्यम गति से ही सही लेकिन विकास की ओर अग्रसर है। अतः नीति निर्माताओं को हाशियाकृत समुदाय को ध्यान में रखते हुए नीति निर्माण करने की आवश्यकता है ताकि उनके विकास की गति में तेज़ी लाई जा सके।

संदर्भ

अभय कुमार दुबे (सं.)(2002), *आधुनिकता के आईने में दलित,* वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली.

अश्विनी कुमार और आलोक प्रफुल्ल (2015), *दीना-भद्री : मुसहरों की समग्र संस्कृति,* सम्यक प्रकाशन, नयी दिल्ली.

एवरेस्ट वी. स्टोनेक्विस्ट (1935), 'द प्रॉब्लम ऑफ़ द मार्जिनल मैन', *अमेरिकन जर्नल ऑफ़ सोसियोलॅजी,* खण्ड 41, अंक 1.

कुँवर सुरेश सिंह (2005), *पीपुल ऑफ़ इण्डिया : उत्तर प्रदेश, खण्ड 2,* एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इण्डिया.

गणेश रवि (2012), 'विकास से कोसों दूर भारत का मुसहर समुदाय', *हाशिये की आवाज़,* नयी दिल्ली.

चैड एलन गोल्डबर्ग (2012), 'रॉबर्ट पार्क्स मार्जिनल मैन : द कैरियर ऑफ़ अ कांसेप्ट इन अमेरिकन सोसियोलॅजी', *लैबरेटॉरियम,* खण्ड 4, अंक 2.

निकोलस बी. डर्क्स (2003), *कास्ट्स ऑफ़ माइंड : कोलोनिअलिज़्म ऐंड द मेकिंग ऑफ़ मॉडर्न इण्डिया,* परमानेंट ब्लैक, नयी दिल्ली.

बर्नार्ड कॉह्न (2004), *ओमनीबस,* ऑक्सफ़र्ड युनिवर्सिटी प्रेस, नयी दिल्ली.

बद्री नारायण (2013), 'लोकतंत्र का भिक्षुगीत : अतिवंचित दलितों के अध्ययन की एक प्रस्तावना', *प्रतिमान समय समाज संस्कृति,* वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली.

--------(2016), *द फ्रैक्चर्ड टेल्स : इनविज़िबल इन इण्डियन डेमॉक्रैसी,* ऑक्सफ़र्ड युनिवर्सिटी प्रेस, नयी दिल्ली.

बेला भाटिया (2002), 'नक्सलवादी बनते दलित', अभय कुमार दुबे (सं.) *आधुनिकता के आईने में दलित,* वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली.

रमाशंकर सिंह (2015), 'बंसोड़, बांस और लोकतंत्र', *प्रतिमान,* जनवरी-जून, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली.

---------(2017), *कम्युनिटी राइट्स ऑफ़ लोअर कास्ट्स,* अप्रकाशित डी. फ़िल शोध प्रबंध, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद.

विधा प्रकाश (2013), 'मुसहरों की ज़िंदगी का दर्द नहीं सुनती सरकारें', *हाशिये की आवाज़,* नयी दिल्ली.

शिल्पशिखा सिंह (2013), 'ऐन एथ्नॉग्राफ़िक एकाउण्ट ऑफ़ द मुसहर : इंटरवेंशन, आइडेंटिटी ऐंड मार्ज़िनैलिटी', *इकॉनॉमिक ऐंड पॉलिटिकल वीकली,* अंक 20, 18 मई, 2013.

सुखदेव थोराट (2017), *भारत में दलित : एक समान नियति की तलाश,* सेज, नयी दिल्ली.

वेब सामग्री

http://www.censusindia.gov.in/2011census/SC-ST/pca_state_distt_sc.xls 20/05/2017

http://www.epw.in/journal/2014/5/commentary/politics-reservation-categories-uttar-pradesh.html

The Hindu, August 9, 2016 http://www.thehindu.com/sci-tech/health/policy-and-issues/malady-nation-rural-healthcare-not-all-are-equal-where-health-coverage-lags-behind/article8961062.ece

http://www.epw.in/journal/2014/5/commentary/politics-reservation-categories-uttar-pradesh.html

http://www.censusindia.gov.in/2011census/SC-ST/pca_state_distt_sc.xls 20/05/2017

https://www.ceeol.com/search/artical-detail?-244732

दैनिक जागरण, 20 अगस्त, 2016.